

## दिनांक 10.04.2025 प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़

### थाना फतनपुर-

-प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा डिजिटल मर्डर व फर्जी क्राइम ब्रांच बनकर करते थे ब्लैकमेलिंग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

-फर्जी क्राइम ब्रांच बनकर करते थे वसूली, पुलिस ने किया था खुलासा

-साइबर ठगों का खौफनाक जाल- पहले धमकी, फिर ब्लैकमेल, अंत में मौत

-फोन कॉल, बैंक ट्रांजेक्शन और गिरवी गहनों ने खोली थी डिजिटल अपराधियों की पोल

-आज दिनांक 10.04.2025 को 01 अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत भगवाचुंगी चौराहे के पास से गुरफ्तार किया गया है

-ब्लैकमेलिंग गैंग का पुलिस ने किया था पर्दाफाश, पुलिस ने पूर्व में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, 01 बाल अपचारी अभिरक्षा में लिया गया था

प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था, जो खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर वसूली करता था। इस गिरोह के शिकार हुए ज्ञानदास नामक युवक ने मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली, जिसे पुलिस ने 'डिजिटल मर्डर' करार दिया है। मामले की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक डा.अनिल कुमार ने अपनी स्पेशल टीमों को लगाकर राजफास किया था और अभियुक्तों को धर दबोचा था। आज दिनांक 10.04.2025 को अन्य 01 अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत भगवाचुंगी चौराहे के पास से गुरफ्तार किया गया है।

कैसे बनाया ब्लैकमेलिंग का शिकार?

मृतक ज्ञानदास के भाई प्रेमदास ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि अज्ञात लोगों ने उनके भाई को डिजिटल माध्यम से फंसाकर पैसे ऐंठे। बैंक खातों और कॉल डिटेल्स की जांच में सामने आया कि ज्ञानदास ने बार-बार अलग-अलग लोगों को ऑनलाइन भुगतान किया था। ब्लैकमेलरों ने उसे लगातार कॉल कर धमकाया, झूठे मुकदमों और जेल भेजने का डर दिखाकर अवैध वसूली की। जब ज्ञानदास के पास पैसे खत्म हो गए, तो उसने अपने घर के गहने तक गिरवी रख दिए और उधारी लेकर भी आरोपियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। मानसिक तनाव और आर्थिक शोषण से तंग आकर उसने 30 जनवरी 2025 को आत्महत्या कर ली। इस संबंध में थाना फतनपुर में मु0अ0सं0-28/2025 धारा 61(2), 108, 308(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अनूप कुमार पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम जिन्दा निवादा, मल का पुरवा कहीजरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत भगवाचुंगी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है।

इससे पूर्व 03 अभियुक्तों व 01 बाल अपचारी, 1. रोहित प्रजापति पुत्र नरेश प्रजापति निवासी भीमसेन थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर उम्र करीब-20 वर्ष, 2. अमित सिंह चौहान पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी बन्दी पुरवा थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर उम्र करीब-20 वर्ष, 3. वीर प्रताप सिंह पुत्र स्व0 रामकुमार सिंह निवासी बन्दी पुरवा थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर उम्र करीब-33 वर्ष को गिरफार किया था एवं 4. 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- अनूप कुमार पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम जिन्दा निवादा, मल का पुरवा कहीजरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी पुलिस टीम-

निरीक्षक रवि गौतम मय हमराह उ0नि0 शैलेश यादव व का0 रामप्रताप यादव व का0 अभिषेक सिंह थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

### थाना कंधई-

बीट मुख्य आरक्षी व आरक्षी की सतर्कता से 02 गैंगस्टर गिरफ्तार

थाना कंधई के मुख्य आरक्षी व आरक्षी ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

मुख्य आरक्षी राजकुमार कुशवाहा व आरक्षी अभिनव ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पेंनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कंधई के मुख्य आरक्षी राजकुमार कुशवाहा व आरक्षी अभिनव को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र

थाना कंधई पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत देहरी दीगर चौराहा पुलिया के पास से गैंगस्टर 02 अभियुक्तों, 01. अभय सिंह, 02. राजेन्द्र यादव उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया गया

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्तों पर हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, गोवध निवारण अधि0, पशु क्रूरता अधि0, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर मुख्य आरक्षी राजकुमार कुशवाहा व आरक्षी अभिनव के सहयोग से थाना कंधई पुलिस द्वारा थाना कंधई के \*मु0अ0सं0 79/25 धारा 2/3 यू0पी गैंगस्टर अधिनियम थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 02 अभियुक्तों, 01. अभय सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उर्फ बेचन सिंह नि0 ग्राम परसनी थाना कंधई जनपद 02. राजेन्द्र यादव उर्फ पप्पू पुत्र गंगादीन नि0 ग्राम परसनी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को कल दिनांक 09.04.2025 को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत देहरी दीगर चौराहा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अभय सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उर्फ बेचन सिंह नि0 ग्राम परसनी थाना कंधई जनपद ।

02. राजेन्द्र यादव उर्फ पप्पू पुत्र गंगादीन नि0 ग्राम परसनी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

अभियुक्त अभय सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उर्फ बेचन सिंह नि0 ग्राम परसनी थाना कंधई जनपद उम्र 35 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0 437/23 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0उ0प्र0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम 1960 थाना कंधई, प्रतापगढ़ ।

02- मु0अ0सं0 434/09 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट अधि0 थाना कंधई, प्रतापगढ़ ।

03- मु0अ0सं0 359/09 धारा 302/307/323/504/506/326/120बी भादवि व 7 CLA ACT थाना कंधई, प्रतापगढ़ ।

04- मु0अ0सं0 56ए/01 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना कंधई, प्रतापगढ़ ।

अभियुक्त राजेन्द्र यादव उर्फ पप्पू पुत्र गंगादीन नि0 ग्राम परसनी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र 44 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 437/23 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0उ0प्र0 व 11 पशु कुरता अधिनियम 1960 थाना कन्धई, प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 09/04 धारा 379/411 भादवि थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ ।

### **थाना पट्टी-**

एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ यूनिट व थाना पट्टी पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त को 61KG अवैध गांजा के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन, एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ यूनिट व थाना पट्टी पुलिस द्वारा गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के पास से 02 बोरियों में कुल 61 किग्रा0 अवैध गांजा एवं 01 अदद पेनड्राइव बरामद किया गया-

चेकिंग के दौरान क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लवेदा के पास से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर में लूट, डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास गैंगस्टर एक्ट गुण्डा एक्ट, एनडीपीएस, आयुध अधि0, आवकारी अधि0, मारपीट, जैसे लगभग 30 संगीन अभियोग पंजीकृत है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में दिनांक 10.04.2025 को थाना प्रभारी थाना पट्टी के नेतृत्व में निरीक्षक दर्शन यादव मय हमराही हे0का0 खालिद खान, हे0का0 दिनेश सिंह, हे0का0 संगम पटेल, का0 राजन कुमार, म0का0 करिश्मा श्रीवास्तव आपरेशनल यूनिट लखनऊ व हे0का0 सुनील राय, का0 अभिषेक सिंह ANTF थाना बाराबंकी एवं थाना पट्टी से उ0नि0 संतोष कुमार, उ0नि0 रोहित यादव, का0 केहरी सिंह, का0 हरिकेश पाल द्वारा थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लवेदा के पास से 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त, लोहा यादव पुत्र स्व0 राजबहादुर यादव निवासी ग्राम लवेदा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार कर उसके पास से 02 बोरियों में कुल 61 किग्रा0 अवैध गांजा, 01 अदद पेनड्राइव बरामद किया गया।

बरामद अवैध गांजा के संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0-100/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. लोहा यादव पुत्र स्व0 राजबहादुर यादव निवासी ग्राम लवेदा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष।

अभियुक्त लोहा यादव पुत्र स्व0 राजबहादुर यादव निवासी ग्राम लवेदा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0 206/05 धारा 323/325/504/506 भादवि व 3(1)एक्स एससी एसटी एक्ट थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ ।

02- मु0अ0सं0 247/05 धारा 308/323/352/504/506 भादवि थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।

03- मु0अ0सं0 168/06 धारा 352/308 भादवि थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।

04- मु0अ0सं0 202/07 धारा 110जी सीआरपीसी थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।

05- मु0अ0सं0 201/08 धारा 323/324/504/506 भादवि व 3(1)एक्स एससी एसटी एक्ट थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।

06- मु0अ0सं0 78/09 धारा 22 एनडीपीएस एक्ट थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ ।

07- मु0अ0सं0 129/09 धारा 394 भादवि थाना उदयपुर, प्रतापगढ़ ।

- 08- मु0अ0सं0 254/09 धारा 323/504/506 भादवि थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।
- 09- मु0अ0सं0 265/09 धारा 394/411 भादवि थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।
- 10- मु0अ0सं0 422/09 धारा 395/412 भादवि थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ ।
- 11- मु0अ0सं0 549/09 धारा 392 भादवि थाना अखण्ड नगर, सुल्तानपुर ।
- 12- मु0अ0सं0 829/09 धारा 379/411 भादवि थाना बदलापुर, जौनपुर ।
- 13- मु0अ0सं0 38/10 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।
- 14- मु0अ0सं0 78/12 धारा 332/353/394 भादवि थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।
- 15- मु0अ0सं0 220/12 धारा 110जी सीआरपीसी थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।
- 16- मु0अ0सं0 66/15 धारा 323/504/505 भादवि व 3(1) एक्स एससी एसटी एक्ट थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।
- 17- मु0अ0सं0 314/15 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ ।
- 18- मु0अ0सं0 376/15 धारा 323/504/506 भादवि थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।
- 19- मु0अ0सं0 155/16 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ ।
- 20- मु0अ0सं0 156/16 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ ।
- 21- मु0अ0सं0 296/16 धारा 147/148/307/504/506 भादवि थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ ।
- 22- मु0अ0सं0 307/16 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ ।
- 23- मु0अ0सं0 168/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।
- 24- मु0अ0सं0 169/19 धारा 10 गुण्डा एक्ट थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।
- 25- मु0अ0सं0 22/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मांधाता, प्रतापगढ़ ।
- 26- मु0अ0सं0 338/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ ।
- 27- मु0अ0सं0 63/22 धारा 386/506 भादवि थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।
- 28- मु0अ0सं0 04/23 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना देल्हूपुर, प्रतापगढ़ ।
- 29- मु0अ0सं0 25/23 धारा 147/148/149/323/452/504/506 भादवि थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।
- 30- मु0अ0सं0 100/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पट्टी, प्रतापगढ़ ।

बरामदगी का विवरण-

02 बोरियों में कुल 61 किग्रा0 अवैध गांजा, 01 अदद पेनड्राइव बरामद ।

पुलिस टीम-

01- निरीक्षक दर्शन यादव मय हमराही हे0का0 खालिद खान, हे0का0 दिनेश सिंह, हे0का0 संगम पटेल, का0 राजन कुमार, म0का0 करिश्मा श्रीवास्तव आपरेशनल यूनिट लखनऊ ।

02- हे0का0 सुनील राय, का0 अभिषेक सिंह ANTF थाना बाराबंकी ।

03- थाना पट्टी से उ0नि0 संतोष कुमार, उ0नि0 रोहित यादव, का0 केहरी सिंह, का0 हरिकेश पाल ।

**थाना पट्टी-**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

थाना पट्टी पुलिस द्वारा गिरफ्तार 01 अभियुक्त के पास से कुल 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा किया बरामद

चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत बीबीपुर जिओ फोन टावर के पास से के पास से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग के दौरान थाना पट्टी के उ०नि० शुभम सिंह, म०उ०नि० ज्योति सविता, हे०का० धर्मेन्द्र यादव, का० विश्वेन्द्र प्रताप सिंह, हे०का० मुकेश त्रिपाठी द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत बीबीपुर जिओ फोन टावर के पास से 01 अभियुक्त, नितेश सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी बीबीपुर थाना पट्टी, प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध गांजा कुल वजन 01 किलो 600 ग्राम बरामद किया गया।

बरामद अवैध गांजा के संबंध में थाना पट्टी में मु०अ०स०- 99/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. नितेश सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी बीबीपुर थाना पट्टी, प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कुल 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

पुलिस टीम-

उ०नि० शुभम सिंह, म०उ०नि० ज्योति सविता, हे०का० धर्मेन्द्र यादव, का० विश्वेन्द्र प्रताप सिंह, हे०का० मुकेश त्रिपाठी थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

**थाना पट्टी-**

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना पट्टी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्तों को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत सदहा बाजार से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त अंकित यादव के विरुद्ध जनपद में हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट जैसे लगभग 05 संगीन अभियोग पंजीकृत हैं।

प्रतापगढ़।

थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत रेडीगारापुर बाजार में वादी की दुकान पर आरोपीगणों द्वारा वादी को जान से मारने की नियत से वादी के साथ मारपीट, धमकी व फायर करने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी में मु०अ०स० 41/23 धारा 307/341/386/506/34 भादवि बनाम 04 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ०नि० अनिश कुमार यादव मय हमराह का० सोनू यादव, का० राजू यादव द्वारा आज दि०- 10.04.2025 को देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी में पंजीकृत मु०अ०स० 41/23 धारा 307/341/386/506/34 भादवि से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त 1. अंकित यादव पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम रेडीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सदहा बाजार से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अंकित यादव पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम रेडीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

अभियुक्त अंकित यादव पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम रेडीगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 46/20 धारा 201/302 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 07/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

3. मु0अ0सं0 288/16 धारा 147/148/323/427/504/506 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

4. मु0अ0सं0 289/16 धारा 147/148/304/504/506 भादवि व 3(2)V एससी एसटी एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

5. मु0अ0सं0 41/23 धारा 307/341/386/506/34 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अनिश कुमार यादव मय हमराह का0 सोनू यादव, का0 राजू यादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

### थाना जेठवारा-

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के खटवारा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष जेठवारा श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह हे0का0 राधेश्याम सुमन शर्मा, का0 मनोज कुमार यादव द्वारा दिनांक 10.04.2025 को देखभाल क्षेत्र/ सदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 137 (2), 87, 70 (2) बीएनएस, 5g/6 पाक्सो एक्ट व 3 (2) 5 sc/st Act से संबंधित अभियुक्त करन सरोज पुत्र राजेश सरोज निवासी ग्राम मोती का पुरवा सगरा सुन्दरपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र जेठवारा के खटवारा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग उपरोक्त में धारा 87, 70 (2) बीएनएस, 5g/6 पाक्सो एक्ट व 3 (2) 5 sc/st Act की बढ़ोत्तरी की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

करन सरोज पुत्र राजेश सरोज निवासी ग्राम मोती का पुरवा सगरा सुन्दरपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह हे0का0 राधेश्याम सुमन शर्मा, का0 मनोज कुमार यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

### थाना बाघराय-

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास व डीपी एक्ट से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बाघराय पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत पाण्डेय तिराहा के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

#### घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत नि०ग्रा०खमसरा( निरंजन का पूरवा) वादी की पुत्री के साथ आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट, धमकी देने के प्रकरण में थाना बाघराय में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 11.03.2025 को मु०अ०सं० 38/25 धारा 85/109/115 (2)/352/351(3)/324(4) बीएनएस व डीपी एक्ट बनाम 07 व्यक्ति नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बाघराय श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ०नि० देवी दयाल कश्यप मय हमराह का० शीशपाल सिंह व का० ओमप्रकाश तोमर व का० संदीप कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारण्टी के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 38/25 धारा 85/109/115 (2)/352/351(3)/324(4) बीएनएस व डीपी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त ज्ञानबाबू यादव पुत्र मकदूम यादव निवासी ग्राम धनवासा थाना बाघराय जनपदप्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र बाघराय के पाण्डेय तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. ज्ञानबाबू यादव पुत्र मकदूम यादव निवासी ग्राम धनवासा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

#### पुलिस टीम-

उ०नि० देवी दयाल कश्यप मय हमराह का० शीशपाल सिंह व का० ओमप्रकाश तोमर व का० संदीप कुमार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।